



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2014/आषाढ़ 26, 1936

No. 215]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2014/ASHADHA 26, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2014

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों की मान्यता एवं सर्वेक्षण)

विनियम-2014

मि.सं.14-42/2011 (सीपीपी-II).—प्रस्तावना:

क्योंकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के प्रति अधिदेश के अधीन है:

और जैसे कि पारदर्शी एवं परिचित बाहरी पुनरीक्षण प्रक्रिया, आकलन एवं प्रत्यायन के लिए उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने तथा आश्वासन के प्रभावी माध्यम हैं, जिनसे छात्रों एवं अन्य के द्वारा संस्थानों से हटकर अकादमिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो सके तथा इसी लक्ष्य से उन्हें सर्व सामान्य संदर्भ उपलब्ध कराया जा सके।

और जैसे कि देश के उच्चतर शिक्षा प्रणाली को वैश्विक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का अंश बनाने को, अधिदेशात्मक आकलन एवं प्रत्यायन द्वारा भी सुलभ किया जा सकेगा, जिसके द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय रूप में छात्रों की गतिशीलता त्वरित हो सकेगी।

अतः यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26 के अनुभाग 12 की धारा जिसे उप-अनुच्छेद (जे) की धाराओं (एफ) एवं (जी) के साथ मिलाकर पढ़ा जाए—इनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम सृजित करता है:—

## 1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:—

(1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सियों की मान्यता एवं सर्वेक्षण विनियम, 2014 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम उन समस्त आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सियों पर लागू होंगे जो देश में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के आकलन एवं प्रत्यायन में कार्यरत हैं (उन उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर जो कि मुख्य रूप से कृषि शिक्षा एवं शोध का संचालन करते हैं)।

(3) सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ये विनियम लागू माने जाएंगे।

## (2) परिभाषाएँ:

इन विनियमों में, यदि सम्बद्ध विषय में अन्यथा आवश्यक न हो:—

(क) “अकादमिक गुणवत्ता” से तात्पर्य है अध्यापन, अधिगम एवं शोध में गुणवत्ता एवं परिणामतः ज्ञान में संवर्धन के प्रति उनका योगदान तथा इसमें सम्मिलित हैं, भौतिक अवसंरचना, मानव संसाधन (संकाय सहित), प्रशासन, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम, दाखिला एवं आकलन की विधियाँ तथा अभिशासन संरचना—जो उच्चतर शैक्षिक संस्थान की है तथा इसमें उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्थापित मानक सम्मिलित हों।

(ख) “प्रत्यायन” व्याकरणय विभिन्नताओं से तात्पर्य है उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया से जिसके द्वारा एक मूल्यांकन, अथवा आकलन अथवा अन्य किसी वैज्ञानिक विधि द्वारा जिसका अनुसरण प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है—तो कोई भी उच्चतर शैक्षिक संस्थान अथवा उसमें संचालित किया जा रहा कोई पाठ्यक्रम जिसे उपयुक्त सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसी अकादमिक गुणवत्ता के मानदण्डों के समरूप माना जा रहा है तथा चिन्हित किया गया है।

(ग) “उपयुक्त सांविधिक नियामक प्राधिकरण” से तात्पर्य एक ऐसे विनियामक प्राधिकरण से है जो थोड़े समय के लिए लागू किसी कानून के अनुसार स्थापित है और जिसके द्वारा उच्चतर शिक्षा मानकों को निर्धारित अथवा अनुरक्षित किया जाता है।

(घ) “सहभागिता नियम” से तात्पर्य है किसी कम्पनी के उन सहभागिता नियमों से जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2 (5) में परिभाषित है।

(ङ) “निर्धारण से तात्पर्य है उस प्रक्रिया से है जो कि किसी उच्चतर शैक्षणिक क्षमताओं को सुनिश्चित अथवा उसके प्रमाणिकता के विषय में जो कि उस संस्थान के भौतिक अवसंरचना, मानव संसाधन, (संकाय सहित) प्रशासन, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, दाखिला एवं छात्र मूल्यांकन प्रणालियों एवं शासी संरचना के विषय में है जो के अकादमिक पाठ्यक्रमों के आरम्भ होने के पूर्व विद्यमान थी।

(च) “निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी से तात्पर्य ऐसी एजेन्सी से है जो इन विनियमों की धारा 5 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

(छ) ‘पंजीकरण प्रमाण पत्र से तात्पर्य उस निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी के प्रमाण पत्र से है जिसे इन विनियमों की धारा 5 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।

(ज) ‘नीति शास्त्र के कोड’ में, सत्यनिष्ठा, उद्देश्यपरकता व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक आचरण, हितों के पारस्परिक टकराव से बचाव, पारदर्शिता एवं सूचना अनावरण एवं अन्य कुछ आचार संबंधी सिद्धान्त जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं—वे सभी सम्मिलित है।

(झ) महाविद्यालय (कॉलेज) से तात्पर्य ऐसे संस्थान से है जो उसी रूप में अथवा ऐसे किसी नाम से जाना जाता है जो किसी विश्वविद्यालय से अर्हता को प्राप्त करने के प्रति अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है तथा उस विश्वविद्यालय के नियमों एवं विनियमों के अनुसार ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए तथा उस पाठ्यक्रम को उन छात्रों को प्रस्तुत करने के लिए समक्ष है—जो छात्र ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण उस परीक्षा के लिए तथा उस अर्हता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं।

(ञ) “डिग्री” से तात्पर्य ऐसी किसी डिग्री से है जिसे केन्द्रीय सरकार की किसी पूर्व संस्वीकृति, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत अधिसूचना के द्वारा सरकारी राजपत्र में विनिर्दिष्ट है।

(ट) “डिप्लोमा” से तात्पर्य है एक एवार्ड, जो डिग्री नहीं है, जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है तथा जिसमें प्रमाणित किया गया है कि प्राप्तकर्ता में सफलतापूर्वक अध्ययन का ऐसा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है जो नौ माह की अवधि से कम का नहीं है।

(द) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से है जैसे कि आयोग द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विनियमों में विनिर्दिष्ट है।

(ध) “उच्चतर शैक्षिक संस्थान” से तात्पर्य अधिगम के ऐसे संस्थान किसी भी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जिसे सदन के अधिनियम अनुसार इस रूप में घोषित किया गया है अथवा ऐसे संस्थान के सहसंबद्ध घटक से है, जो (चाहे नियमित कक्षाओं अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों द्वारा) उच्चतर शिक्षा को 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के पश्चात्, किसी भी डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रदान करने के लिए उपलब्ध करा रहा है।

(न) “मानित विश्वविद्यालय रूपी संस्थान से तात्पर्य एक ऐसे संस्थान से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

(प) “न्यास का दस्तावेज” किसी न्यास के बारे में इसका अर्थ ऐसे दस्तावेज से है जैसा कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अनुच्छेद 3 में परिभाषित है।

(फ) “सहभागी ज्ञापन” (मेमो रेन्डम ऑफ एसोसिएशन) से तात्पर्य किसी भी कंपनी के बारे में है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (28) में परिभाषित है अथवा किसी सभा के मामले में ऐसा ज्ञापन जैसा कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट है;

(ब) “अलाभकारी संगठन” से तात्पर्य ऐसे संगठन से है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत है अथवा एक न्यास जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत निर्मित है; जो—

- (i) किसी लाभ के लक्ष्य अथवा लाभपूर्ण उद्देश्य से रहित कोई जोखिम, काम काज अथवा व्यापार प्रारम्भ करना
- (ii) विभिन्न उद्देश्यों को उन्नत करने के लिए अथवा अधिशेष अथवा अन्य आय का प्रयोग करना
- (iii) अपने सदस्यों, शेयर धारकों अथवा न्यासियों को अपने अधिशेष एवं आय का कोई भी अंश भुगतान के रूप में निषिद्ध होगा—वेतन अथवा भत्तों को छोड़कर जो कि ऐसे जोखिम, व्यवसाय, कामकाज अथवा व्यापार को चलाने के लिए दी गई सेवाओं के लिए देय होगा।

(झ) "अधिसूचना" से तात्पर्य उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई है तथा "अधिसूचित" यह अभिव्यक्ति के अपने सजातीय अर्थों सहित एवं व्याकरणीय विचलन सहित तदनुसार अर्थान्तरित किया जाएगा;

(म) "पाठ्यक्रम" से तात्पर्य ऐसी पाठ्यचर्या अथवा अध्ययन से है जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान के पाठ्यक्रम से है जो डिग्री अथवा डिप्लोमा के अवार्ड में सहायक है;

(त) "तकनीकी शिक्षा" से तात्पर्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम से है जो नामतः इन क्षेत्रों में हैं, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, शहरी नियोजन, फार्मसी, अनुप्रयोज्य कलाएँ एवं दस्तकारी, होटल प्रबन्धन एवं आपूर्ति प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोज्यताएँ एवं अन्य पाठ्यक्रम अथवा कुछ ऐसे क्षेत्र जिसे केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकती हैं;

(भ) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य ऐसे विश्वविद्यालय से है जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा उनके अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित हैं तथा इसमें मानित विश्वविद्यालय संस्थान भी सम्मिलित है;

ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो प्रयुक्त हैं परंतु इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं परंतु जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में परिभाषित किया गया है तथा जो इन विनियमों से परस्पर विरोधी नहीं हैं, उनके क्रमबद्ध रूप से वही अर्थ होंगे जो अधिनियम उन्हें प्रदान किए गए हैं।

### 3. उद्देश्य

3.1 अनेक सक्षम एवं विश्वसनीय आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के अधिदेशात्मक प्रत्यायन के लिए एक ढाँचागत योजना तैयार करना

3.2 किसी स्वतंत्र परन्तु जवाबदेह संस्थागत तंत्र के माध्यम से निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों को नियमित करना;

### 4. निर्धारण एवं प्रत्यायन संबंधी आयोग के प्रकार्य

4.1 इन विनियमों एवं उपयुक्त सांविधिक नियामक प्राधिकरण प्रावधान जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत बनाए गए हैं उनके अधीन, एवं उनमें संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों के निर्धारण एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया विकसित एवं नियमित करने के उपाय करेगा, तथा निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों के प्रकार्यों का सर्वेक्षण करेगा।

4.2 पूर्व में उल्लिखित प्रावधानों के सामान्य रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के उप-धारा (i) में संदर्भित उपाय 2 का परस्पर निम्न में से समस्त अथवा किसी एक मामले में प्रावधान बना रहेगा, नामतः:

(क) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों को विनियमित करना (निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों का पंजीकरण)

(ख) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता अथवा वहाँ पर संचालित किसी पाठ्यक्रमों के निर्धारण एवं प्रत्यायन के लिए नियम एवं प्रक्रियाएँ स्थापित करना,

(ग) उप-धारा (बी) में संदर्भित नियमों एवं नीतियों का आवधिक पुनरीक्षण करना

(घ) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा अनुसरण करने के लिए नीति शास्त्र का एक कोड निर्माण करना,

(ङ) नीति शास्त्र के कोड के अनुसरण के संदर्भ में निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों का लेखा-परीक्षण करना—जिसमें हितों के परस्पर टकराव, सूचना को अनावृत्त करना, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता विकसित करना तथा निर्धारण एवं प्रत्यायन की प्रणालियाँ भी सम्मिलित हैं।

(च) उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों एवं उनमें संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों से जुड़े गुणवत्ता एवं निष्पादन के सभी दृष्टि-कोणों के संबंध में जन साधारण को सूचना उपलब्ध कराने के लिए नीतियाँ स्थापित करना।

(छ) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा निर्धारण एवं प्रत्यायन के उद्देश्य से विशेषज्ञों के चयन एवं प्रशिक्षण संबंधी मानकों को विनिर्दिष्ट करना एवं उनका सर्वेक्षण करना;

(ज) इन विनियमों के अंतर्गत शुल्क एवं अन्य प्रकार की वसूली करना;

(झ) एक ओर उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की स्वायत्तता का सम्मान रखते हुए अकादमिक गुणवत्ता में सुधार की अनुशंसा करना;

(प) निर्धारण एवं प्रत्यायन से संबद्ध कोई भी नीति विषयक मामला जो संज्ञान में लाया जाता है, तो केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार अथवा उपयुक्त सांविधिक नियामक प्राधिकरण को यथास्थिति उन्हें परामर्श प्रदान करना;

(फ) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों तथा/अथवा विश्वविद्यालयों की सहभागिता द्वारा निर्धारण एवं प्रत्यायन की प्रविधियों के विकास के उपाय करना;

(म) निर्धारण एवं प्रत्यायन में शोध पदोन्नत करना;

(भ) उपयुक्त सांविधिक नियामक प्राधिकरण द्वारा उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में ऐसे नियमों, दिशानिर्देशों एवं अकादमिक गुणवत्ता के ऐसे मानकों के अनुसरण का सर्वेक्षण करना जो कि वर्तमान लागू किसी भी कानून द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं तथा नियत अन्य सभी प्रकार्यों का निष्पादन करना;

#### 5. निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों का पंजीकरण

5.1 कोई भी निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी निम्न स्थितियों के अतिरिक्त एवं आयोग से प्राप्त किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार तथा उसमें दिये गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का निर्धारण एवं उनमें संचालित किए जा रहे किसी भी पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं प्रत्यायन नहीं करेगी;

बशर्ते किसी भी वर्तमान लागू कानून के अंतर्गत स्थापित कोई भी एजेन्सी जो कि उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के अथवा उनमें संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों का जो निर्धारण एवं प्रत्यायन कार्य कर रही है इन विनियमों के अधिसूचित करने की अथवा उससे पूर्व की तिथि पर—वह इस कार्य को उस समय तक जारी रख सकती है जब तक कि आयोग द्वारा उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किया जाता।

इसके साथ ही बशर्ते कोई एजेन्सी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर एक निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी के रूप में पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगी

बशर्ते ऐसे आवेदन की तिथि के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर आयोग या तो पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा अथवा उस आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

5.2 (1) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी के रूप में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन आयोग के ऐसे प्रारूप एवं विधि में होगा जैसा कि उप-धारा (2) (निम्नवत्) में विनिर्दिष्ट है तथा इसके साथ ऐसे समस्त दस्तावेज होंगे तथा आयोग द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक आवेदन उप-धारा (1) के अंतर्गत सोसाइटी/कंपनी/न्यास के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आयोग से सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत होगा तथा निम्न दस्तावेजों से युक्त होगा, क्रमशः

(क) सहभागिता ज्ञापन/संगम की नियमावली अथवा न्यास संबंधी दस्तावेज यदि आवेदक एक पंजीकृत सोसाइटी/कंपनी अथवा क्रमशः न्यास है;

(ख) सोसाइटी/कंपनी/न्यास के अधिकारी सदस्यों का विवरण;

(ग) अवसंरचना का एवं आवेदक के कार्मिकों का विवरण;

(घ) पूर्व में किये गये निर्धारण एवं प्रत्यायन/विशेषज्ञता जो उपलब्ध है—उसका विवरण;

(ङ.) आवेदक अथवा उसे कर्मचारियों अथवा विशेषज्ञों एवं उच्चतर शैक्षिक संस्थान के मध्य हितों में किसी भावी टकराव चिह्नित करने के लिए एक विस्तृत तंत्र;

(च) आवेदनकर्ता के वित्तीय स्तर एवं वित्तीय व्यवहारों की पारदर्शिता के लिए एक विश्वसनीय तंत्र

(छ) किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान अथवा वहाँ संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं प्रत्यायन के लिए विश्वसनीय सार्वजनिक सूचना अनावरण नीति।

(ज) किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान अथवा उसमें संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों के निर्धारण एवं प्रत्यायन के आवेदनकर्ता द्वारा जिसे सम्पूर्ण प्रक्रिया में एवं प्रविधियों का अनुसरण किया जाना है।

(झ) ऐसा अन्य कोई भी दस्तावेज जो आयोग द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है।

5.3 पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए दिया गया कोई आवेदन आयोग द्वारा विचाराधीन नहीं होगा, जब तक कि आवेदनकर्ता निम्न शर्तों को पूरा नहीं कर देता, नामतः—

(अ) आवेदनकर्ता है—

(i) वह एक कम्पनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है, अथवा वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्मित एवं पंजीकृत अथवा एक न्यास है जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत अथवा वर्तमान किसी भी लागू कानून के अन्तर्गत है।

(ii) ऐसी कम्पनी, सोसाइटी अथवा न्यास यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कोई प्राधिकरण, अथवा बोर्ड अथवा संस्थान।

(ब) आवेदनकर्ता एक अलाभकारी संगठन है:—

(स) आवेदनकर्ता ने अपने सहभागिता ज्ञापन (M.O.A.)/ संगम ज्ञापन अथवा न्यास के दस्तावेज में उच्चतर शैक्षिक संस्थान के निर्धारण एवं प्रत्यायन को अपने मुख्य उद्देश्य में से एक अभिव्यक्त किया है।

(द) आवेदनकर्ता के ऐसी अवसंरचना है जैसे कि एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से आयोग ने विनिर्दिष्ट की है, ताकि निर्धारित एवं प्रत्यायन सेवाएँ उसके द्वारा उपलब्ध करायी जा सकें।

(ध) आवेदनकर्ता एवं उसके समर्थन कर्ताओं के व्यावसायिक कुशलता, वित्तीय सुदृढता तथा आयोग के अनुसार उसके पास स्वच्छता एवं सत्यनिष्ठा है

(त) कि आवेदनकर्ता अथवा उसके समर्थक अथवा आवेदनकर्ता के शासी निकाय के कोई सदस्य अथवा उसके समर्थक, उच्चतर शैक्षिक संस्थान से संबद्ध किसी कानूनी कार्रवाई में लिप्त नहीं है—अथवा अन्यथा निर्धारण एवं प्रत्यायन प्रक्रिया यदि वह इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में सामने आती है;

(ध) आवेदनकर्ता अथवा उसके समर्थक अथवा कोई निदेशक अथवा सदस्य अथवा न्यासी गत समय में किसी नैतिक भ्रष्टता अथवा किसी आर्थिक अपराध में किसी भी अवसर पर दण्डित नहीं हुए हों;

(न) अपने रोजगार के दौरान, आवेदनकर्ता के पास आयोग की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त व्यावसायिक एवं अन्य सापेक्ष अनुभव रहा है;

(i) आवेदनकर्ता, अथवा उससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध कोई भी व्यक्ति गत वर्षों में नहीं नकारा गया है;

(i) इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र इन्कार नहीं किया गया है;

(ii) उसके इस अधिनियम की अथवा उसके अंतर्गत किसी नियमों तथा विनियमों की अवमानना की किसी प्रक्रिया के अधीन रहना पड़ा है अथवा लागू कानून की अवहेलना में इसकी प्रक्रिया के अधीन होना पड़ा है;

(य) प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने के लिए समस्त दृष्टिकोणों से आवेदनकर्ता उपयुक्त एवं सही व्यक्ति है;

(र) आवेदनकर्ता ऐसी अन्य किसी भी शर्तों से सुसंगत हैं जिन्हें विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

5.4 (1) आवेदन प्राप्त होने पर आयोग एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जो उस प्रारूप एवं विधि अनुसार होगी जैसे कि सार्वजनिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा उस आवेदन के साथ प्राप्त समस्त दस्तावेजों के साथ उस आवेदन को उसके सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से 60 दिनों तक आयोग की वेबसाइट पर स्थापित करेगा।

(2) जैसा कि उपरोक्त उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित है, कोई भी व्यक्ति उक्त 60 दिनों के भीतर अपने विचार एवं आपत्ति, यदि कोई है तो वह एक आवेदन अथवा उसके अंश के रूप में दायर कर सकता है।

(3) जैसे कि उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित है आयोग द्वारा अनिवार्य किया गया है कि आवेदक यथा आवश्यक अन्य कोई सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रदान करें।

(4) आवेदनकर्ता की दक्षता के मूल्यांकन के विशिष्ट उद्देश्य से आयोग ऐसे विशेषज्ञों का परामर्श जैसा कि उचित समझे, प्राप्त कर सकता है।

(5) आयोग, आवेदन के किसी भी राज्य सरकार अथवा सांविधिक नियामक प्राधिकरण को परामर्श हेतु संदर्भित कर सकता है। संबद्ध राज्य सरकार अथवा सांविधिक नियामक प्राधिकरण ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपना परामर्श प्रस्तुत कर दें।

(6) पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकार करने से पूर्व आयोग एक ऐसी सार्वजनिक सुनवाई करेगा जैसे कि सार्वजनिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा समस्त विचारों अथवा आपत्तियों अथवा स्पष्टीकरण अथवा अनुशंसायें, यदि हैं तो उन पर विचार करेगा तथा आवेदनकर्ता द्वारा उनके प्रति प्रत्युत्तर का अवलोकन करेगा तथा इसके साथ ही आयोग यदि अन्य किसी मामले को विचारार्थ उपयुक्त समझेगा तो उस पर विचार करेगा।

5.5 (1) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर आयोग, जहाँ तक व्यावहारिक है समस्त विचारों एवं आपत्तियों अथवा स्पष्टीकरण अथवा अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद—

(अ) जैसा कि ऐसे प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट उसके निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार आकलन एवं प्रत्यायन एजेंन्सी के रूप में एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा जो कि इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगा,

(ब) यदि ऐसा आवेदन इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप अथवा वर्तमान लागू कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने के कारण लिखित में दर्ज किये जाने चाहिए।

बशर्ते कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा अब तक कि आवेदनकर्ता के पक्ष को सुनने के लिए पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।

(2) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करते समय आयोग दस्तावेजों को उसी रूप में अथवा संशोधनों सहित यथास्थिति अनुमोदित करेगा तथा प्रणालियों एवं शर्तों का अनुसरण करेंगे जैसा कि निर्धारण एवं प्रत्यायन प्रक्रिया में अनुमोदित किया गया है।

(3) उप-धारा (2) के अन्तर्गत स्वीकृत दस्तावेजों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभिन्न अंश माना जाएगा जिसे आयोग की स्वीकृति के बिना संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(4) आयोग यदि उचित समझे तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र जो कि निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी को स्वीकृत किया गया है, उसमें पाठ्यक्रम के क्षेत्र को सीमित कर सकता है जिसके लिए इस प्रकार की निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी निर्धारण एवं प्रत्यायन से जुड़े अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निपटान कर सके।

(5) कोई भी पंजीकरण प्रमाण-पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा यदि ऐसा प्रमाण-पत्र पूर्व में निरस्त कर दिया गया है।

5.6 (1) किसी भी निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी के आवेदन के आधार पर स्वीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र आयोग द्वारा नवीनीकृत ऐसी अवधि के लिये किया जाएगा एवं ऐसे शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा जैसा कि आयोग द्वारा इन विनियमों में व्यक्त किया गया है।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक इस मामले में सुनवाई के हेतु उसे पर्याप्त सुअवसर प्रदान नहीं किया गया।

5.7 आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी अपने स्वामित्व में, अथवा शासीनिकाय में अथवा, न्यासी बोर्ड में अथवा सहभागिता ज्ञापन अथवा सहभागिता धाराओं में अथवा न्यास दस्तावेजों में कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

5.8 आयोग, जनहित में अथवा अकादमिक गुणवत्ता संबर्द्धन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी निर्धारण अथवा प्रत्यायन एजेन्सी के आवेदन पर अथवा ऐसे परिवर्तन एवं संशोधन पंजीकरण प्रमाण पत्र के निबन्धन एवं शर्तों में यथा आवश्यक करेगा जो कि ऐसी प्रणाली के अनुसार होगा जैसा कि सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

5.9 (1) किसी शिकायत के आने पर अथवा अन्य किसी कारण से यदि आयोग यथा आवश्यक पड़ताल करने के पश्चात् संतुष्ट है कि जनहित की आवश्यकतानुसार वह पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करे तो ऐसा निम्न मामलों में होगा, नामतः

(अ) यदि आयोग के विचार से निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी जानबूझकर अथवा निरन्तर भूल चूक करती है जैसा कि इन विनियमों में सन्दर्भित है:

(ब) ऐसे पंजीकरण प्रमाण पत्र में दी गई निबन्धन एवं शर्तों को जिन्हें ऐसे पंजीकरण प्रमाण पत्र में घोषित किया गया है यदि निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी उनका उल्लंघन करती है तो इसे निरस्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(स) यदि किसी स्थिति में निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी इस विषय में पंजीकरण प्रमाण पत्र के अन्तर्गत नियत अवधि में अथवा किसी और लम्बी अवधि में जिसे आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है, यदि एजेन्सी आयोग की संतुष्टि अनुसार इसे स्पष्ट करने में असमर्थ रहती है कि वह एजेन्सी पूरी तरह से एवं कुशलतापूर्वक उन सभी कर्तव्यों एवं दायित्वों के निपटान में सक्षम है, जैसा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र पर निहित है।

(द) यदि किसी स्थिति में आयोग के विचार अनुसार निर्धारित एवं प्रत्यायन एजेन्सी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह एजेन्सी पंजीकरण प्रमाण पत्र में निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरी तरह कुशलतापूर्वक निपटान करने में असमर्थ है;

(ड.) कि वह निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी अब अस्तित्व में नहीं है;

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आयोग द्वारा कथित निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी को लिखित रूप में कम से कम 30 दिनों का नोटिस न दिया गया हो कि वह आधार स्पष्ट किए जाएं जिनके द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस प्रस्तावित निरस्तीकरण के विरुद्ध नोटिस की अवधि के दौरान निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा कोई कारण स्पष्ट किया गया है कि नहीं।

(3) आयोग के विचार में यदि जनहित की आवश्यकता है अथवा अकादमिक गुणवत्ता के संदर्भ में सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है तो उप-धारा (1) के अंतर्गत पड़ताल पूरी होने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जो इस निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी को केवल उस अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था जब तक कि पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया जाता, इसके अनुसार ही आयोग निर्णय लेगा।

(4) यदि किसी ऐसी स्थिति में जहाँ आयोग इस धारा के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करता है तो वह उस प्रत्यायन एजेन्सी पर निरस्तीकरण आदेश प्रेषित करेगा तथा एक तिथि निर्धारित करेगा जब वह प्रभावी होगा, तथा ऐसा निरस्तीकरण ऐसे किसी भी संक्रिया के पूर्वाग्रह के बिना होगा जिसके अंतर्गत अन्य किसी भी कानून जो कि वर्तमान में लागू है उसके अंतर्गत कोई भी अन्य कार्रवाई किये जाने की स्थिति में;

(5) आयोग किसी भी पंजीकरण पत्र को उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत निरस्त किए जाने के बजाय इसके लागू करने की अनुमति प्रदान कर सकता है जो कि ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार होगा जैसा उचित समझा जाएगा; तथा इस प्रकार लागू होगी, तथा वे सभी निबन्धन एवं शर्तें निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा देखी जायेंगी तथा वे इतनी ही सशक्त एवं प्रभावी मानी जायेंगी जैसा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में सम्मिलित है।

(6) आयोग इस धारा के अंतर्गत अपनी वेबसाइट पर किसी भी पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण पर की गई कोई भी कार्यवाही तथा इस विषय में किया गया अंतिम निर्णय अथवा ऐसे निर्णय से संबद्ध सभी दस्तावेज एवं तर्क प्रदर्शित करेगा।

(7) ऐसी स्थिति जो कि किसी निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी उप-धारा (4) के अंतर्गत, उप-धारा (1) में संदर्भित आधार पर निरस्त की गई है तो आयोग ऐसे निरस्तीकरण को 60 दिनों की अवधि के भीतर तथा ऐसे निरस्तीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर क्रमशः ऐसी एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों का लेखा परीक्षण करायेगा।

(8) किसी भी पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलम्बन अथवा निरस्तीकरण की स्थिति में आयोग उसके कारणों एवं आवश्यक उपायों को करेगा जो कि छात्रों के हित में है।

## 6. निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों के कर्तव्य एवं दायित्व

6.1 (1) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी किसी भी उच्च शैक्षिक संस्थान अथवा उसके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के निर्धारण एवं प्रत्यायन जानने के लिए ऐसी एजेन्सी को ज्ञान संबर्द्धन हेतु निम्न सिद्धान्तों के अधीन अपने दायित्वों के निपटान में मानेंगे:-

(अ) अकादमिक गुणवत्ता का संबर्द्धन

(ब) किसी भी श्रेणी एवं श्रेणियों वाले उच्च शैक्षिक संस्थानों अथवा उनमें संचालित किसी भी एक अथवा अधिक पाठ्यक्रमों में समरूप अकादमिक गुणवत्ता के मानकों को संभव करना;

(स) पणधारियों छात्रों एवं नियोक्ताओं सहित उच्च शैक्षिक संस्थान अथवा किसी भी संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम के विषय में सूचना प्रदान करना;

(द) उच्च शैक्षणिक संस्थानों को उनके प्रबंधन में एवं उनकी अकादमिक गुणवत्ता संबर्द्धन करना जिससे विशिष्ट रूप से लक्षित अधिगम परिणाम विकसित हो सकें, उसके लिए सहायता प्रदान करें;

(ड.) ज्ञान संबर्द्धन के ऐसे कुछ सिद्धान्तों का अनुसरण करना जो कि समय-समय पर विकसित हो रहे हैं;

(2) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी उच्च शैक्षिक संस्थानों के निर्धारण एवं प्रत्यायन के कार्य को हाथ में लेने के समय अथवा उनमें संचालित पाठ्यक्रमों के विषय में उस अकादमिक गुणवत्ता के मानकों का अनुसरण करेंगे जिन्हें उपयुक्त सांविधिक, नियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) प्रत्येक निर्धारण एवं आकलन एजेन्सी उस नीति संहिता का पालन करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।

6.2 (1) प्रत्येक निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी, प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थानों अथवा उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का निर्धारण तथा प्रत्यायन उस आवेदन के आधार पर करेंगे जो उस संस्थान द्वारा ऐसे रूप एवं विधि द्वारा दिया गया जिसके लिए सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क दिया गया है।

(2) किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान अथवा उसमें संचालित पाठ्यक्रम का प्रत्यायन एवं ऐसे अन्तराल एवं अवधि के उपरान्त होगा जैसा कि यूजीसी (अधिदेशात्मक निर्धारण एवं प्रत्यायन) विनियम 2012 में दिया गया है।

(3) किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान अथवा उसमें संचालित पाठ्यक्रमों के निर्धारण अथवा प्रत्यायन के समय निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी उच्च शैक्षणिक संस्थान में पणधारियों, छात्रों एवं नियोक्ताओं सहित उनके मत अकादमिक गुणवत्ता सम्बंधी मामलों पर प्रस्तुत करने के लिए एक सुअवसर प्रदान करेगी।

(4) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी उच्च शैक्षणिक संस्थान के अपने किसी प्रस्तावों अथवा आपत्तियों के लिए पर्याप्त सुअवसर प्रदान करेगी जो कि उनकी प्रारूप के निर्धारण अथवा प्रत्यायन संबंधी सुझावों एवं आपत्तियों को, ऐसे संस्थान अथवा उनमें संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप देते समय उन पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(5) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी अपनी वेबसाइट वह निर्धारण एवं प्रत्यायन प्रदर्शित करेगी जिसे समस्त दस्तावेजों एवं तर्कों सहित निर्धारण एवं प्रत्यायन हेतु हाथ में लिया गया है।

(6) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी उस अवधि एवं उस रूप एवं निधि में ऐसे विवरण एवं वक्तव्य एवं ऐसी विस्तृत सूचना जो उच्च शैक्षणिक संस्थान के निर्धारण एवं प्रत्यायन से सम्बद्ध है, जिसे कि आयोग द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया गया है जिसे आगे भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(7) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी उप-धारा (1) के प्रावधानों से पूर्वाग्रह के बिना नब्बे दिनों के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आयोग को लेखा परीक्षित विवरणों एवं इसमें विनिर्दिष्ट तथा इसके साथ ही अपनी गतिविधियों का सत्य एवं सम्पूर्ण विवरण प्रदान करेगी तथा गत वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नीति एवं पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन से सम्बद्ध ऐसी एजेन्सी के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेगी।

## 7. निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों का लेखा परीक्षण एवं जांच पड़ताल

7.1 आयोग किसी भी समय लिखित आदेश अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों (आगे से इस धारा में जो "प्रत्यायन लेखा परीक्षण समिति" के नाम से सन्दर्भित होगी) जो लेखा परीक्षण अथवा निरीक्षण अथवा किसी निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी अथवा किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्रत्यायन सम्बंधी मामलों में आदेश के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है तथा वे प्रत्यायन लेखा परीक्षण समिति द्वारा किए गये किसी भी लेखा परीक्षण अथवा निरीक्षण के विषय में आयोग को सूचित करेंगे।

7.2 निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी के प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अथवा अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारियों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थान के प्रत्येक मुख्य कार्यकारी, अथवा प्राध्यापक अथवा अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारियों, यथा स्थिति प्रत्यायन लेखा परीक्षा समिति के समक्ष, जैसा कि उपधारा—(1) में निर्देशित है, अपने नियन्त्रण अथवा अधिकार में विद्यमान समस्त प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी अथवा उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मामलों से संबंध कोई विवरण अथवा सूचना यथा स्थिति प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कथित प्रत्यायन लेखा परीक्षण समिति उस समय के भीतर जैसा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो इन सबकी मांग कर सकती है।

7.3 किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अथवा उसमें संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध किसी भी मुख्य कार्यकारी अथवा अधिकारी अथवा कर्मचारी—जो निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी में हैं उनकी जांच पड़ताल प्रत्यायन लेखा परीक्षा समिति कर सकती है जैसा कि उपधारा —1 में निर्धारित है।

7.4 उपधारा (1) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी को पर्याप्त सुअवसर देगा ताकि वे इन रिपोर्ट से सम्बद्ध अपने प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकें जैसे कि आयोग के विचार से तर्कपूर्ण है जिसे लिखित आदेश के रूप में निम्नवत दें।

(अ) रिपोर्ट में सम्मिलित किसी भी मामले पर निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा ऐसी कार्यवाही आवश्यक है जैसे आयोग को उचित लगती है, अथवा

(ब) पंजीकरण की प्रमाण पत्र की निबंधन एवं शर्तों को यथा आवश्यक संशोधित करना तथा इस प्रकार से संशोधित निबंधन एवं शर्तें बाध्य होंगी एवं निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा तथा उतनी ही सशक्त एवं प्रभावी होंगे यदि वे पंजीकरण प्रमाण पत्र में सम्मिलित क्यों न की गई हो, अथवा

(स) निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सियों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों को पुनर्प्रबलित करना

7.5 आयोग प्रत्यायन लेखा परीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को उपधारा (1) के अन्तर्गत रखेगा तथा इसके साथ ही आयोग द्वारा की गई कार्यवाही को उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

## 8. शिकायत निवारण तन्त्र

8.1 इन विनियमों के अन्तर्गत किसी भी निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायन संबंधी लिए गये निर्णय से पीड़ित कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष ऐसे प्रत्यायन अथवा उसके संशोधन को वापस लेने के लिए आवेदन कर सकता है।

8.2 नब्बे दिनों के भीतर किये गये किसी भी आवेदन पर आयोग निर्णय करेगा जो कि उस निर्धारण के वहन किए जाने के अनुसार होगा एवं निर्धारण एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा की जाने वाली सुनवाई के विषय में पर्याप्त समय दिये जाने के सम्बंध में होगा।

## 9. विविध

यदि आयोग के विचार से जन साधारण के हितों को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक है अथवा ज्ञान संबर्द्धन के लिए जरूरी है, तो वह अधिसूचना एवं ऐसी शर्तों के द्वारा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, इन विनियमों के प्रावधान/प्रावधानों से छूट के लिए किसी श्रेणी अथवा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के श्रेणियों को इसके क्रियान्वयन से छूट दे सकता है तथा जितनी बार भी आवश्यक हो ऐसी अधिसूचना को पुनर्प्रबलित अथवा संशोधित कर सकता है।

## 10. जुर्माने

10.1 यदि कोई प्रत्यायन एजेन्सी उप धारा 6.1 (1) में संदर्भित दायित्वों के अनुपालन में एवं उप धारा 6.1 (3) में संदर्भित नीति आचार संहिता के अनुपालन में यूजीसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लगाए गए किसी भी जुर्माने के पूर्वाग्रह के बिना असमर्थ बनी रहती है तो जो क्षतिपूर्ति उच्च शैक्षणिक संस्थान को हुई किसी प्रकार की हानि के प्रति उत्तरदायी होगी जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित होगा।

10.2 ऐसी कोई भी प्रत्यायन एजेन्सी जो उल्लंघन करती है:—

(अ) इन विनियमों के किसी भी प्रावधान अथवा उसके अंतर्गत की गई किसी अधिसूचना का; अथवा

(ब) वर्तमान में किसी भी उपयुक्त सांविधिक, नियामक प्राधिकरण द्वारा लागू किसी भी कानून के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों का; अथवा

(स) पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट किसी भी निबंधन एवं शर्तों का,

इन विनियमों अथवा वर्तमान में लागू किसी भी नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अभियोजन संबंधी कार्यवाही के पूर्वाग्रह के बिना, वे ऐसे जुर्माने के जिम्मेदार होंगे जैसे कि यूजीसी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत है।

10.3 यदि कोई व्यक्ति कोई सूचना उपलब्ध कराता है अथवा इन विनियमों के अंतर्गत किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करता है अथवा किसी अधिसूचना के अंतर्गत किसी बात का विवरण अथवा वक्तव्य देता है जो असत्य है, तथा उसकी जानकारी में असत्य है अथवा जिस पर वह विश्वास करता है कि वह सत्य नहीं है, ऐसी बात के लिए किसी न्यायालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभियोग चलाये जाने के लिए वे उत्तरदायी होंगे।



10.4 यदि कोई उच्चतर शैक्षिक संस्थान (एचईआई) असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्रदान करता है अथवा एक उच्च ग्रेड अथवा निर्धारण को किसी भी रूप में प्राप्त करने के लिए निर्धारण, एवं प्रत्यायन एजेन्सी को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो वह संस्थान यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 2 (f) एवं 12 (B) से अधिसूचना हीन कर दिया जाएगा तथा यदि कोई यूजीसी अनुदान देय है तो उन पर रोक/आहरण के आदेश दिये जायेंगे। इसी प्रकार से एक मानित विश्वविद्यालय अपने मानित विश्वविद्यालय स्तर के अधिसूचनाहीन होने के लिए यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उत्तरदायी होगा।

#### 11. कठिनाइयों का समाधान

इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी रूप देने में यदि कोई कठिनाई आती है, तो आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकता है जो इन विनियमों के साथ समनुरूप नहीं हैं तथा जो आवश्यक अथवा कठिनाइयों को दूर करने के लिए त्वरित साधन है,

बशर्ते ऐसा कोई भी आदेश इन विनियमों के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

बशर्ते ऐसा कोई भी आदेश जो कि इन विनियमों की अतिव्याप्ति अथवा परस्पर विरोध के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के लिए हो, जो कि उपयुक्त सांविधिक आयोग से हो और आयोग द्वारा उसे ऐसे सांविधिक आयोग के परामर्श एवं सहमति से ही निर्मित किया जाना चाहिए।

जसपाल एस संधु, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./113/14]

## UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17<sup>th</sup> July, 2014

#### University Grants Commission (Recognition And Monitoring of Assessment And Accreditation Agencies) Regulations- 2014

##### No. F. 14-42/2011 (CPP-II).—Preamble:

Whereas, University Grants Commission (UGC) is mandated to coordinate and determine the standards of higher education in universities;

And whereas, assessment and accreditation through transparent and informed external review process, are the effective means of quality determination and assurance in higher education to provide a common frame of reference for students and others to obtain credible information on academic quality across institutions;

And whereas, mandatory assessment and accreditation would also enable the higher education system in the country to become a part of the global quality assurance system thereby assisting student mobility across institutions, domestic as well as international;

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:-

#### 1. Short title, application and commencement –

(1) These regulations shall be called the University Grants Commission (Recognition and monitoring of Assessment & Accreditation Agencies) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall apply to all Assessment and Accreditation agencies engaged in the assessment and accreditation of higher educational institutions (other than the higher educational institutions engaged mainly in agricultural education and research) in the country.

(3) These regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

#### 2. Definitions -

In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) “Academic quality” means the quality of teaching, learning and research and consequently their contribution to enhancement of knowledge and includes physical infrastructure, human resources (including faculty), administration, course curricula, admission and assessment procedures and governance structures, of the higher educational institution and includes standards as laid down by the appropriate statutory regulatory authority;

(b) “Accreditation” with its grammatical variations means the process of quality control in higher education, whereby, as a result of evaluation or assessment or by any other scientific method followed by accreditation agencies, a higher educational institution or any programme conducted therein is recognised by it as conforming to parameters of academic quality and benchmarking of such academic quality determined by the appropriate statutory regulatory authority;

(c) “Appropriate statutory regulatory authority” means any regulatory authority established under any law for the time being in force, for co-ordinating or determining or maintaining the standards of higher education;

(d) “Articles of association” means articles of association of a company as defined in Section 2(5) of the Companies Act, 2013

(e) “Assessment” means the process involved in ascertaining or verifying the capabilities of an HEI in terms of its physical infrastructure, human resources (including faculty), administration, course curricula, admission and student evaluation procedures and governance structure prior to the commencement of its academic programmes;

(f) “Assessment and accreditation agency” means an agency registered under clause 5 of these regulations;

(g) “Certificate of registration” means the certificate of registration of an assessment and accreditation agency granted under clause 05 of these Regulations;

(h) “Code of ethics” includes integrity, objectivity, professional competence, professional conduct, avoidance of conflict of interest, transparency and information disclosure and such other ethical principles as may be specified in these regulations;

(i) “College” means any institution, whether known as such or by any other name which provides for a course of study for obtaining any qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognized as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;

(j) “Commission” means the University Grants Commission as defined in the University Grants Commission Act 1956;

(k) “Degree” means any such degree, as may, with the previous approval of the Central Government, be specified in this behalf by the University Grants Commission, by notification in the Official Gazette, under section 22 of the University Grants Commission Act, 1956;

(l) “Diploma” means such award, not being a degree, granted by a university certifying that the recipient has successfully completed a course of study of not less than nine months duration;

(m) “Distance education systems” means the open and distance education systems as specified by the Commission in the regulations for Open and Distance Education;

(n) “Higher Educational Institution” means an institution of learning including a university, an institution deemed to be university, a college, an institution of national importance declared as such by an Act of Parliament, or a constituent unit of such institution, which is imparting (whether through conduct of regular classes or distance education systems) higher education beyond twelve years of schooling leading to the award of a degree or diploma;

(o) “Institution deemed to be University” means an institution declared by the Central Government as deemed to be a university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956;

(p) “Instrument of Trust” means, in case of a Trust, such instrument as defined under section 3 of the Indian Trusts Act, 1882;

(q) “Memorandum of Association” means, in case of a company, such memorandum as defined under sub-section (28) of section 2 of the Companies Act, 2013, or in case of a society, such memorandum as specified under section 2 of the Societies Registration Act, 1860;

(r) “Non-profit organisation” means an organisation being a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 or a society formed and registered under the Societies Registration Act, 1860 or a trust formed under the Indian Trusts Act, 1882 or formed under any other law for the time being in force, which—

(i) undertakes any venture, profession, vocation or business without profit motive or gainful objective;

(ii) applies its surplus or other income in promoting its objects;

(iii) prohibits payment of any of its surplus or other income to its members or shareholders or trustees, except by way of salaries or allowances payable for services rendered for carrying out such venture, profession, vocation or business;

(s) “Notification” means a notification published in the Official Gazette and the expression “notify” with its cognate meanings and grammatical variation shall be construed accordingly;

(t) “Programme” means a course or programme of study leading to the award of a degree or a diploma in a higher educational institution;

(u) “Technical education” means programmes of education, research and training in the areas namely engineering and technology, architecture, town planning, pharmacy, applied arts and crafts, hotel management and catering technology, computer applications, and such other programmes or areas as the Central Government may, in consultation with the Commission, by notification in the official gazette, declare.

(v) “University” means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, and includes an institution deemed to be university;

Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 and not inconsistent with these regulations shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

### 3. Objectives

3.1 To lay down a framework for mandatory accreditation of Higher Educational Institutions by a number of competent and reliable assessment and accreditation agencies.

3.2 To regulate assessment and accreditation agencies through an independent but accountable institutional mechanism.

### 4. Functions of the Commission regarding Assessment and Accreditation

4.1 The Commission shall, subject to the provisions of these regulations and of those made under any law for the time being in force by the appropriate statutory regulatory authority, take measures to develop and regulate the process of assessment and accreditation of higher educational institutions and programmes conducted therein, and to monitor the functioning of assessment and accreditation agencies.

4.2 Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the measures referred to in sub-clause (1), may, inter alia, provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) regulate assessment and accreditation agencies (registration of the assessment and accreditation agencies);

(b) lay down norms and processes for assessment and accreditation of academic quality in higher educational institutions or of any programme conducted therein, by assessment and accreditation agencies;

(c) undertake periodical review of norms and policies referred to in sub-clause (b);

(d) lay down a code of ethics for adherence by the assessment and accreditation agencies;

(e) undertake audit of the assessment and accreditation agencies with reference to adherence to code of ethics including policies on obviating conflict of interest, disclosure of information, evolving transparency in processes and procedures of assessment and accreditation;

(f) lay down policies for providing information to the public in regard to all aspects of quality and performance of higher educational institutions and programmes conducted therein;

(g) specify and monitor standards on selection and training of experts for the purposes of assessment and accreditation by assessment and accreditation agency;

(h) levy of fees or other charges under these Regulations;

(i) recommend for improvement of academic quality while respecting the higher educational institution's autonomy to set its priorities;

(j) advise the Central Government or any State Government or the appropriate statutory regulatory authority on any policy matter concerning assessment and accreditation which may be referred to it;

(k) take measures for development of methodologies of assessment and accreditation in collaboration with assessment and accreditation agencies and/or universities;

(l) promote research and innovation in assessment and accreditation;

(m) monitor adherence to such norms, guidelines and standards of academic quality, as may be specified under any law for the time being in force by the appropriate statutory regulatory authority, in higher educational institutions; (n) perform such other functions as may be prescribed.

## **5. Registration of Assessment and Accreditation Agencies**

5.1 No assessment and accreditation agency shall, except under, and in accordance with the conditions of a certificate of registration obtained from the Commission, and in accordance with rules and regulations made thereunder, undertake assessment and accreditation of any higher educational institution or any programme conducted therein:

Provided that any agency set up by or under any law for the time being in force, which is carrying out the work of assessment and accreditation of higher educational institutions or programmes conducted therein, on or before the date of notification of these Regulations, may continue to do so until the certificate of registration is granted to it by the Commission:

Provided further that such agency shall, within a period of one hundred and eighty days from the date of notification of these Regulations, make an application for registration as an assessment and accreditation agency:

Provided also that the Commission shall, within a period of one hundred and twenty days from the date of such application, either issue the certificate of registration or reject the application.

5.2 (1) Every application for registration as an assessment and accreditation agency shall be made to the Commission in such form and manner as specified in sub-clause (2) below and accompanied by such other documents and on payment of such fees as may be further specified by the Commission through a public notification.

(2) Every application under sub-clause (1) shall be submitted by the competent person in the Society/Company/Trust in a form specified by the Commission through a public notification and shall be accompanied by the following, namely:—

(a) Duly certified copy of memorandum of association/articles of association or the instrument of trust if the applicant is a registered Society/Company or a Trust, respectively;

(b) Details of members of the authorities of the Society/Company/Trust;

(c) Details of infrastructure and employees of the applicant;

(d) Details of assessment and accreditation previously undertaken/expertise available with it;

(e) a detailed mechanism for detecting any potential conflict of interest between the applicant or its employees or experts and a higher educational institution;

(f) a credible mechanism for transparency in respect of the financial status and financial dealings of the applicant;

(g) a reliable public information disclosure policy for assessment and accreditation of any higher educational institution or any programme conducted therein;

(h) complete processes and procedures to be followed by the applicant in the assessment and accreditation of any higher educational institution or any programme conducted therein;

(i) such other documents as may be specified by a public notification by the Commission.

5.3 No application for grant of a certificate of registration shall be considered by the Commission, unless the applicant satisfies the following conditions, namely:—

(a) the applicant is-

(i) a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 or a society formed and registered under the Societies Registration Act, 1860 or a trust formed under the Indian Trusts Act, 1882 or any other law for the time being in force;

(ii) such company, society or trust is formed or controlled by the Central Government or a State Government or any authority or board or institution established under any Central or State Act;

(b) the applicant is a non-profit organization;

(c) the applicant has, in its memorandum of association/articles of association or in the instrument of trust, specified assessment and accreditation of higher educational institutions as one of its main objects;

(d) the applicant has such infrastructure as may be specified by a public notification by the Commission, to enable it to provide assessment and accreditation services;

(e) the applicant and the promoters of the applicant, have professional competence, financial soundness and general reputation of fairness and integrity to the satisfaction of the Commission;

(f) the applicant, or its promoters, or any member of the governing body of the applicant or its promoter, is not involved in any legal proceeding connected with any higher educational institution except in course of any assessment and accreditation proceedings carried out in pursuance of the provisions of these regulations;

(g) the applicant, or its promoters, or any director, or member, or trustee has, at any time in the past, not been convicted of any offence involving moral turpitude or any economic offence;

(h) the applicant has, in its employment, persons having adequate professional and other relevant experience to the satisfaction of the Commission;

(i) the applicant, or any person directly or indirectly connected with the applicant, has in the past not been—

(i) refused by the Commission a certificate of registration under these Regulations or;

(ii) subjected to any proceedings for contravention of this Act or of rules or regulations made thereunder or any other law for the time being in force;

(j) the applicant, in all other respects, is a fit and proper person for the grant of a certificate;

(k) the applicant conforms to such other conditions as may be specified by regulations.

5.4 (1) The Commission shall, on receipt of the application issue a public notice, in such form and manner as specified by it through a public notification, and place the application together with all documents received with the application, for a period of sixty days from the date of issue of such public notice, on the website of the Commission.

(2) Any person may, within a period of said sixty days referred to in sub-clause(1), submit his comments or objections, if any, on the application or part thereof, to the Commission.

(3) The Commission may, within the period of sixty days referred to in sub-clause(1), require the applicant to furnish such other information or clarification as it may consider necessary.

(4) The Commission may obtain the advice of such experts, as it deems fit, for the specific purpose of evaluating the competency of the applicant.

(5) The Commission may also refer the application to any state government or statutory regulatory authority, for its advice. Such advice shall be tendered by the respective State Government or the statutory regulatory authority within thirty days from receipt of such application.

(6) The Commission shall, before granting a certificate of registration, conduct a public hearing, in such manner as may specified by it through a public notification, to consider all comments or objections or clarifications or recommendations, if any, and the response of the applicant thereto, including any other matter as the Commission may deem fit for such consideration.

5.5 (1) The Commission shall, as far as practicable within a period of one hundred and twenty days, from the receipt of such application, after considering the comments or objections or clarifications or recommendations—

(a) issue a certificate of registration as an assessment and accreditation agency, on such terms and conditions as may be specified in such certificate, subject to the provisions of these Regulations; or

(b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application does not conform to the provisions of these regulations or provisions of any other law for the time being in force:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The Commission shall, while issuing a certificate of registration, approve the documents as such or with such modifications, as it may deem fit, and thereupon the assessment and accreditation agency shall follow the procedures and conditions so approved in the process of assessment and accreditation.

(3) The documents approved under sub-clause(2) shall be considered as an integral part of the certificate of registration which shall not be modified or altered without the approval of the Commission.

(4) The Commission may, if it so deems fit, in the certificate of registration granted to an assessment and accreditation agency, limit the area or programme for which such assessment and accreditation agency may exercise its duties and responsibilities of assessment and accreditation.

(5) A certificate of registration shall be valid for a period of five years unless such certificate is revoked earlier.

5.6(1) A certificate of registration granted may, on an application made by the assessment and accreditation agency, be renewed by the Commission for such period and on payment of such fees as may be specified by Regulations.

(2) No application for renewal of the certificate of registration made under sub-clause(1) shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

5.7 No assessment and accreditation agency shall, without the prior approval of the Commission, effect any change in its ownership, or governing body or board of trustees, or the memorandum of association or articles of association or the instrument of trust.

5.8 The Commission may, in the public interest or for ensuring advancement of academic quality, on an application of the assessment and accreditation agency or otherwise, make such alterations and amendments in the terms and conditions of the certificate of registration as it thinks fit, in accordance with such procedure as may be specified by it through a public notification.

5.9 (1) If the Commission, on a complaint or otherwise, and after making such enquiry as it deems fit, is satisfied that public interest so requires, it may revoke the certificate of registration in any of the following cases, namely:—

(a) where the assessment and accreditation agency, in the opinion of the Commission, makes willful or continuous default in any act of commission or omission as required by these regulations;

(b) where the assessment and accreditation agency commits breach of any of the terms or conditions of the certificate of registration which is expressly declared by such certificate of registration to render it liable to revocation;

(c) where the assessment and accreditation agency fails, within the period fixed in this behalf by its certificate of registration, or any longer period which the Commission may have granted thereof, to show, to the satisfaction of the Commission, that such agency is in a position fully and efficiently to discharge the duties and obligations imposed on it by its certificate of registration;

(d) where in the opinion of the Commission the financial position of the assessment and accreditation agency is such that such agency is unable fully and efficiently to discharge the duties and obligations imposed on it by its certificate of registration;

(e) the assessment and accreditation agency has ceased to exist.

(2) No certificate of registration shall be revoked under sub-clause(1) unless the Commission has given to the assessment and accreditation agency not less than thirty days notice, in writing, stating the grounds on which it is proposed to revoke the certificate of registration, and has considered any cause shown by the assessment and accreditation agency within the period of that notice, against the proposed revocation.

(3) Where in its opinion the public interest so requires or for ensuring the advancement of academic quality, the Commission may, on conclusion of the enquiry under sub-clause(1), suspend the certificate of registration granted to the accreditation agency till such time as a decision on the revocation of such certificate of registration or otherwise, is taken by the Commission.

(4) Where the Commission revokes a certificate of registration under this clause, it shall serve an order of revocation upon the accreditation agency and fix a date on which the revocation shall take effect; and such revocation shall be without prejudice to the action which may be taken against it in under any other law for the time being in force.

(5) The Commission may, instead of revoking a certificate of registration under sub-section (1), permit it to remain in force subject to such further terms and conditions as it thinks fit to impose, and any further terms or conditions so imposed shall be binding upon and be observed by the assessment and accreditation agency and shall be of like force and effect as if they were contained in the certificate of registration.

(6) The Commission shall publish on its website any action initiated under this clause and the final decision on the revocation of the certificate of registration or otherwise together with all documents and reasons for such decision.

(7) Where the certification of any assessment and accreditation agency has been revoked under sub-clause (4) on grounds referred to in sub-clause(1), the Commission shall, within a period of sixty days from the date of such revocation, conduct an audit of all the higher educational institutions accredited by such agency within a period of one year before the date of such revocation.

(8) The Commission shall, while suspending or revoking a certificate of registration, take, or cause to be taken, such measures which may be necessary to protect the interests of students.

## **6. Duties and Obligations of Assessment & Accreditation Agencies**

6.1(1) While undertaking assessment and accreditation of a higher educational institution or programme conducted therein, the assessment and accreditation agency shall have regard to following principles in discharging its obligations for the advancement of knowledge, namely:—

(a) advancement of academic quality;

(b) enabling uniform reference of standards of academic quality in any class or classes of higher educational institutions or any one or more programmes conducted therein;

(c) informing stakeholders (including students and employers) about the quality of the higher educational institution or any programme conducted therein;

(d) rendering assistance to higher educational institutions in managing and enhancing their academic quality working towards the development of explicit intended learning outcomes;

(e) adherence to such other principles for advancement of knowledge which may evolve from time to time.

(2) The assessment and accreditation agency shall, while undertaking assessment or accreditation of higher educational institutions or any programme conducted therein, follow the standards in respect of academic quality specified by the appropriate statutory regulatory authority.

(3) Every assessment and accreditation agency shall abide by the code of ethics as laid down by the Commission.

6.2 (1) Every assessment and accreditation agency shall assess or accredit a higher educational institution or a programme conducted therein on an application made to it by such institution in such form and manner, and on payment of such fees, as may be specified by the Commission through a public notification.

(2) The assessment or accreditation of a higher educational institution or a programme in a Higher Educational institution shall be done at such intervals and after such periods as are specified in the UGC (Mandatory Assessment and Accreditation) Regulations, 2012.

(3) The assessment and accreditation agency shall, while undertaking assessment or accreditation of a higher educational institution or a programme in such institution, provide an opportunity to the stakeholders in the higher educational institution, including students and employees, to submit their views on matters of academic quality.

(4) The assessment and accreditation agency shall give a reasonable opportunity to the higher educational institution to file suggestions or objections, if any, on the draft assessment or accreditation prepared by it and shall take note of such suggestions or objections, if any, while finalizing the assessment or accreditation of such institution or any programme conducted therein.

(5) The assessment and accreditation agency shall publish on its website the assessment or accreditation undertaken together with all documents and reasons for such assessment or accreditation.

(6) The assessment and accreditation agency shall furnish to the Commission at such time and in such form and manner as may be specified by the Commission in a public notification or as the Commission may direct, such returns and statements and such particulars in regard to assessment or accreditation of higher educational institutions by such agency, as the Commission may, from time to time, require.

(7) Without prejudice to the provisions of sub-clause (1), the assessment and accreditation agency shall, within a period of ninety days after the end of each financial year, submit to the Commission a report along with audited statement of accounts in such form, as may be specified by the Commission in a public notification, giving a true and full account of its activities, policy and programmes in regard to accreditation of higher educational institutions by such agency during the previous financial year.

## **7. Audit and Inquiry of Assessment & Accreditation Agencies**

7.1 The Commission may, at any time, by order in writing, direct any person or persons (hereinafter referred to in this clause as “Accreditation Audit Committee”) specified in the order to audit or inspect or inquire into the affairs of any assessment and accreditation agency or any higher educational institution in matters of accreditation and to report to the Commission on any audit or inspection made by such Accreditation Audit Committee.

7.2 It shall be the duty of every chief executive or officer or other employee of the assessment and accreditation agency and every chief executive or teacher or officer or other employee of the higher educational institution, as the case may be, to produce before the Accreditation Audit Committee directed under sub-clause (1), all such papers and other documents in his custody or power and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the assessment and accreditation agency or higher educational institution, as the case may be, as the said Accreditation Audit Committee may require of him within such time as the said Accreditation Audit Committee may specify.

7.3 The Accreditation Audit Committee, directed to audit or inspect or inquire under sub-clause (1), may examine any chief executive or officer or other employee of the assessment and accreditation agency in relation to accreditation of any higher educational institution or programme conducted therein.



7.4 On receipt of any report under sub- clause (1), the Commission may, after giving such opportunity to the assessment and accreditation agency to make a representation in connection with the report as, in the opinion of the Commission, seems reasonable, by order in writing,—

(a) require the assessment and accreditation agency, to take such action in respect of any matter arising out of the report as the Commission may think fit; or

(b) modify terms and conditions of certificate of registration as it thinks fit, and terms or conditions so modified shall be binding upon and be observed by the assessment and accreditation agency and shall be of like force and effect as if they were contained in the certificate of registration; or

(c) revoke the certificate of registration of the assessment and accreditation agency.

7.5 The Commission shall, place the report submitted by the Accreditation Audit Committee under sub-clause (1) and the action taken thereon by the Commission on its website.

## 8. Grievance Redressal Mechanism

8.1 Any person aggrieved by the accreditation decided by any assessment and accreditation agency under these Regulations, may apply to the Commission for withdrawal of such accreditation or its modification.

8.2 The Commission shall take a decision on an application made within ninety days after affording the assessment and accreditation agency reasonable opportunity of being heard.

## 9. Miscellaneous

If the Commission is of the opinion that it is necessary or expedient in the interests of the general public so to do, or for advancement of knowledge, it may, by notification and subject to such conditions as may be specified in the notification, exempt any class or classes of higher educational institutions from the operation of all or any of the provisions of these Regulations and may, as often as may be necessary, revoke or modify such notification.

## 10. Penalties

10.1 If an accreditation agency fails to comply with the obligations referred to in sub-clause 6.1 (1) and the adherence to the code of ethics referred to in sub-clause 6.1(3), without prejudice to any penalty which may be imposed under the University Grants Commission Act, 1956, it shall be liable to pay such compensation, to the higher educational institution for any loss or damages suffered by such institution, as may be determined by a Court of law.

10.2 Any accreditation agency, which contravenes-

(a) any provision of these regulations or any notification made thereunder; or

(b) the standards specified under any law for the time being in force by the appropriate statutory regulatory authority; or

(c) the terms and conditions specified in the certificate of registration,

shall, without prejudice to proceeding for prosecution under the provisions of these regulations or any other law for the time being in force, be liable to a penalty as per the provisions of the University Grants Commission Act, 1956.

10.3 If any person provides any information or produces any document under these regulations or under any notification made thereunder, or delivers an account or statement which is false, and which he either knows or believes to be false, or does not believe to be true, he shall be liable for being prosecuted in a court of law by the University Grants Commission.

10.4 If any Higher Educational Institution (HEI) furnishes false or misleading information or tries to influence the Assessment & Accreditation Agency in whatever way to obtain a higher grade or assessment, it shall be liable to be de-notified from the Section 2(f) and 12B of UGC Act and stoppage of/or withdrawal of UGC grants, if any. Similarly a deemed to be university shall be liable for de-notification of its status as a deemed to be university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

**11. Removal of difficulties**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of these regulations as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulties;

Provided that, no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of these regulations;

Provided further that, an order providing for the removal of a difficulty arising due to overlap or conflict with regulations of an appropriate statutory Commission shall be made only in consultation with and, with the concurrence of such statutory Commission.

JASPAL S. SANDHU, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./113/14]